



“बुलढाणा जिले के किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का होनेवाला परिणाम – एक अध्ययन”

प्रा. डॉ. विनोद रतिराम बन्सिले

सहयोगी प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग,

श्री व्यंकटेश कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, देवलगावराजा, जि. बुलढाणा (महाराष्ट्र)

प्रस्तावना:

भारत यह कृषीप्रधान देश है। भारत की करीबन ७०% आबादी खेती पर निर्भर है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषिक्षेत्र की अहम भूमिका है। स्वतंत्रता के समय खेती से प्राप्त होनेवाली कर की आय आज प्राप्त होनेवाली कर की आयसे बहोत कम थी। कृषिक्षेत्र से प्राप्त होनेवाली कर की आय कम प्राप्त होने की प्रमुख वजह भारतीय खेती का मानसुन पर निर्भर होना है। भारतीय मानसुन एक जुआ है। भारत की ७०% प्रतिशत खेती कुदरती बारीश पर निर्भर है। खेती के लिए जरूरी सिंचाई की योजना यें भी कम है। स्वतंत्रता के बाद केवल एक दशक में ही खेती के क्षेत्र में सराहनीय काम हुआ है। उस समय खेती से प्राप्त होनेवाले कर की आय में बढ़ोत्तरी होने की प्रमुख वजह हरितक्रांति का होना है और वह समय १९७० के दशक का है।



भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो जनसंख्या के एक बड़े हिस्से, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हालाँकि, कृषि स्वाभाविक रूप से विभिन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील है, जैसे अप्रत्याशित मौसम की स्थिति, कीट और बाजार में उतार-चढ़ाव। इन जोखिमों का किसानों की आय और वित्तीय स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे ऋण और गरीबी का चक्र शुरू हो सकता है। इस संदर्भ में फसल बीमा योजनाएं कृषि जोखिमों को कम करने और किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में उभरी हैं।

MNAIS योजना रबी हंगाम साल २०१३-१४ से सभी राज्यों में सभी जिलों में कार्यान्वीत करणा अनिवार्य है। ऋणग्रस्त किसान को MNAIS योजना में सहभाग लेना अनिवार्य किया गया है तथा गैर ऋणग्रस्त किसान को MNAIS या WBCIS में से एक योजना में सम्मेलित होना होगा।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का बुलढाणा जिला मुख्यतः कृषि प्रधान है, जहां की अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यह क्षेत्र कपास, सोयाबीन और दालों जैसी नकदी फसलों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह अनियमित वर्षा, सूखे और अन्य जोखिमों से भी ग्रस्त है, जो फसल की पैदावार को प्रभावित करते हैं। इन जिलों में किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति ऐतिहासिक रूप से चुनौतीपूर्ण रही है, तथा किसानों की पेशानी और आत्महत्या की घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करती रही हैं। इन चुनौतियों के मद्देनजर, फसल बीमा योजनाओं ने इस जिले में किसानों को सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संशोधित राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना (MNAIS) और पहले की योजनाएं जैसी सरकारी पहल किसानों की वित्तीय कमजोरी को कम करने में सहायक रही हैं। बुलढाणा में इन योजनाओं की प्रभावशीलता का किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ा है, जिससे आय सुरक्षा में सुधार हुआ है, ऋण की उपलब्धता बेहतर हुई है और किसानों की ऋणग्रस्तता में कमी आई है।

इस अध्ययन का उद्देश्य बुलढाणा जिले में किसानों के आर्थिक विकास में फसल बीमा योजनाओं के योगदान का विश्लेषण करना है। इसमें कवरेज, दावा निपटान और बीमित किसानों को सामाजिक-आर्थिक लाभ के संदर्भ में इन योजनाओं की प्रभावशीलता का पता

लगाया गया है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रभावों की जांच करके यह शोध यह अंतर्दृष्टि प्रदान करने का प्रयास करता है कि फसल बीमा ने किस प्रकार कृषि विकास को प्रभावित किया है, गरीबी को कम किया है, तथा इन जिलों में कृषक समुदाय की समग्र आर्थिक लचीलापन में योगदान दिया है। यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालेगा कि फसल बीमा न केवल एक जोखिम प्रबंधन उपकरण है बल्कि भारत में कृषि जिलों के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को बढ़ाने में भी एक महत्वपूर्ण कारक है।

साहित्य की समीक्षा :

१) वॉकर और जोधा, १९८६ : औपचारिक जोखिम साझाकरण/प्रसार तंत्र की अनुपस्थिति में किसान कृषि में उत्पादन जोखिम से निपटने के लिए पारंपरिक तरीकों और विधियों पर निर्भर करते हैं। फसल बीमा या फसल राजस्व को स्थिर करने की अनुपस्थिति में कई फसल रणनीतियां और खेती प्रथाएं अपनाई गई हैं। इन जोखिम प्रबंधन रणनीतियों या बीमा सरोगेट की उपलब्धता और प्रभावी शीलता सार्वजनिक नीतियों और फसल बीमा की मांग पर निर्भर करती है।

२) अहसन एट अल., १९८२ : बीमा कार्यक्रमों द्वारा निभाई जाने वाली प्रमुख भूमिका जोखिम से बचने वाले व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति करना है जो प्राकृतिक संभाव्य घटना से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं। बीमा बाजार का दर्शन बड़ी संख्या पर आधारित है जहां जोखिम की घटना व्यक्ति पर वितरित की जाती है। बीमा, जोखिमों को स्थानांतरित करने की संभावना प्रदान करके व्यक्तियों को जोखिमपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होने में सक्षम बनाता है जो वे अन्यथा नहीं करते।

३) भेंडे २००२ : एक उचित रूप से डिजाइन और कार्यान्वित फसल बीमा कार्यक्रम कई कमजोर छोटे और सीमांत किसानों को कठिनाई से बचाएगा, कृषि आय में स्थिरता लाएगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि करेगा।

अनुसंधान के उद्देश्य:

- १) बुलढाणा जिले के कितने किसानों को MNAIS योजनाग्यात है यह जानकारी प्राप्त करना।
- २) बुलढाणा जिले में MNAIS योजना के तहत कितने प्रतिशत बीमा दावे प्राप्त हुये है इसका अध्ययन करना।
- ३) बुलढाणा जिले में MNAIS योजना का किसानों की आर्थिक स्थितिपर होनेवाले परिणाम का अध्ययन करना।
- ४) संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लाभार्थी किसानों की वित्तीय स्थिति में आए बदलाव का अध्ययन करना।
- ५) यह अध्ययन करना कि क्या संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से जिलों में किसानों की आत्महत्या रोकने में मदद मिली है।

तालिका क्रमांक : १ - बुलढाणा जिले में फसल बीमा लाभार्थी किसान इस तथ्य से अवगत हैं कि वे अपनी फसलों के लिए संशोधित राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा (MNAIS) का ले सकते हैं।

इस बात पर प्रतिक्रियाएं कि क्या किसान अपनी फसलों के लिए संशोधित राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा (MNAIS) ले सकते हैं	लाभार्थी किसान	
	संख्या	प्रतिशत
हाँ	३९०	१००
नहीं	००	००
कुल	३९०	१००

उपरोक्त तालिका क्रमांक: १ - बुलढाणा जिले में फसल बीमा लाभार्थी किसानों की अपनी फसलों के लिए संशोधित राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा (MNAIS) कवरेज की उपलब्धता के संबंध में प्राथमिकताओं को दर्शाती है। तालिका में दर्शाई गई जानकारी के अनुसार बुलढाणा जिले में फसल बीमा लाभार्थी किसानों में से १००% के पास अपनी फसलों के लिए संशोधित राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा (MNAIS) लेने में सक्षम होने की जानकारी है।

उपरोक्त जानकारी से यह स्पष्ट है कि किसान अपनी फसलों को संशोधित राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना (MNAIS) के तहत कवर करने की संभावना के बारे में १००% जागरूक हैं, जो साबित करता है कि बुलढाणा जिले के किसान फसल बीमा के बारे में १००% जागरूक हैं।

तालिका क्रमांक २:- फसल खराब होने पर फसल बीमा (MNAIS) के माध्यम से कुछ मुआवजा पाने के संबंध में बुलढाणा जिले में फसल बीमा लाभार्थी किसानों की प्रतिक्रियाएं

प्रतिक्रिया	लाभार्थी किसान	
	संख्या	प्रतिशत
हाँ	३९०	१००
नहीं	००	००
कुल	३९०	१००

उपरोक्त तालिका क्रमांक : २ में बुलढाणा जिले के फसल बीमा लाभार्थी किसानों की फसल खराब होने की स्थिति में फसल बीमा के माध्यम से कुछ मुआवजा मिलने के संबंध में प्रतिक्रिया दर्शाई गई है। तालिका में दर्शाई गई जानकारी के अनुसार बुलढाणा जिले में १००% फसल बीमा लाभार्थी किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में फसल बीमा के माध्यम से मुआवजा मिला है। यह उपरोक्त जानकारी से है। यह देखा गया है कि फसल बीमा लाभार्थी १००% किसानों को फसल विफलता की स्थिति में फसल बीमा के माध्यम से मुआवजा प्राप्त हुआ है।

तालिका क्रमांक ३:- बुलढाणा जिले में फसल बीमा लाभार्थी किसानों की प्रतिक्रियाएँ, इस कथन के संबंध में कि फसल बीमा से मेरा वित्तीय तनाव कम होता है और मेरी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है।

प्रतिक्रिया	लाभार्थी किसान	
	संख्या	प्रतिशत
पूरि तरह से असहमत.	२७	०६.९२
असहमत	५१	१३.०८
कोई राय नहीं	८०	२०.५१
सहमत	१४९	३८.२१
पूरि तरह से सहमत	८३	२१.२८
कुल	३९०	१००

उपरोक्त तालिका क्रमांक : ३ - में बुलढाणा जिले के फसल बीमा लाभार्थी किसानों के इस कथन के संबंध में जवाब दर्शाए गए हैं कि फसल बीमा से उनका वित्तीय तनाव कम होता है। तालिका में दर्शाई गई जानकारी के अनुसार बुलढाणा जिले में फसल बीमा लाभार्थी किसानों में से ३८.२१% किसान इस कथन से सहमत हैं कि फसल बीमा से मेरा वित्तीय तनाव कम होता है और २१.२८% किसान उपरोक्त कथन से पूरी तरह सहमत हैं। इसी प्रकार, २०.५१% किसानों की इस कथन के बारे में कोई राय नहीं है कि फसल बीमा मेरे वित्तीय तनाव को कम करता है, जबकि १३.०८% और ०६.९२% किसान क्रमशः असहमत और दृढ़ता से असहमत हैं।

उपरोक्त जानकारी से यह स्पष्ट है कि लगभग ६० प्रतिशत फसल बीमा लाभार्थी किसान इस कथन से सहमत हैं कि फसल बीमा से उनका वित्तीय तनाव कम होता है। इससे यह साबित होता है कि फसल बीमा से किसानों का वित्तीय तनाव कम हो रहा है और वे फसल बीमा के महत्व को समझ रहे हैं।

तालिका क्रमांक : ४ -बुलढाणा जिले में फसल बीमा लाभार्थी किसानों की फसल बीमा के लाभ के संबंध में प्रतिक्रियाएँ

प्रतिक्रिया	लाभार्थी किसान	
	संख्या	प्रतिशत
हाँ	३६९	९४.६२
नहीं	२१	०५.३८
पता नहीं	००	००.००
कुल	३९०	१००

उपरोक्त तालिका क्रमांक : ४ - में बुलढाणा जिले के फसल बीमा लाभार्थी किसानों द्वारा ली गई फसल बीमा से प्राप्त लाभों के संबंध में उनकी प्रतिक्रियाएँ दर्शाई गई हैं। तालिका में दर्शाई गई जानकारी के अनुसार बुलढाणा जिले में फसल बीमा लाभार्थी किसानों में से ९४.६२% किसानों को ली गई फसल बीमा का लाभ मिला और ०५.३८% किसानों को ली गई फसल बीमा का लाभ नहीं मिला।

उपरोक्त जानकारी से स्पष्ट है कि फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने वाले फसल बीमा लाभार्थी किसानों का प्रतिशत अधिकतम ९५ प्रतिशत है। फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने वाले ९५ प्रतिशत किसानों की आर्थिक स्थिति में अच्छा बदलाव आया है।

तालिका क्रमांक : ५ -बुलढाणा जिले में फसल बीमा लाभार्थी किसानों की प्रतिक्रियाएँ खराब कृषि उत्पादन और फसल बीमा की कमी के कारण परिवार में किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने के संबंध में

प्रतिक्रिया	लाभार्थी किसान	
	संख्या	प्रतिशत
हाँ	१३	०३.३३
नहीं	३७७	९६.६७
कुल	३९०	१००

उपरोक्त तालिका : ५ - में बुलढाणा जिले के फसल बीमा लाभार्थी किसानों की प्रतिक्रियाएँ दर्शाई गई हैं जो खराब कृषि उत्पादन और फसल बीमा की कमी के कारण परिवार के किसी सदस्य द्वारा की गई आत्महत्याओं के बारे में हैं। तालिका में दर्शाई गई जानकारी के अनुसार, बुलढाणा जिले में फसल बीमा लाभार्थी किसानों में से ९६.६७% किसानों ने बताया कि खराब कृषि उत्पादन और फसल बीमा की कमी के कारण परिवार में किसी ने आत्महत्या नहीं की और केवल ३.३३% किसानों ने उपरोक्त कथन के लिए हां कहा।

उपरोक्त जानकारी से यह स्पष्ट है कि फसल बीमा लाभार्थी किसानों में से केवल ३ प्रतिशत ने ही इस बात पर हां में जवाब दिया कि परिवार में किसी ने खराब कृषि उत्पादन और फसल बीमा की कमी के कारण आत्महत्या की है, लेकिन फिर भी इस अनुपात को शून्य तक लाने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष :

वर्तमान मामले में, ३९० लाभार्थी किसानों, यानी कुल १३ तालुकाओं में से हर एक तालुके से क्रमशः ३० फसल बीमा लाभार्थी किसानों से एकत्रित जानकारी का विश्लेषण करने के बाद, प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकाले गए हैं।

- ❖ बुलढाणा में ऐसे लाभार्थी किसानों का अनुपात १०० प्रतिशत है, जो जानते हैं कि वे अपनी फसलों के लिए संशोधित राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा ले सकते हैं।
- ❖ १०० % फसल बीमा लाभार्थी किसानों को फसल खराब होने पर फसल बीमा के माध्यम से मुआवजा मिला है।
- ❖ ६० प्रतिशत फसल बीमा लाभार्थी किसानों का वित्तीय तनाव फसल बीमा कराने से कम हुआ है।
- ❖ बुलढाणा जिले में फसल बीमा लाभार्थी किसानों के बीच खराब कृषि उत्पादन और फसल बीमा कवरेज की कमी के कारण ३ प्रतिशत किसानों के परिवार के सदस्य ने आत्महत्या की है।

सुझाव और अनुशंसाएँ:

- १) संशोधित राष्ट्रीय कृषि फसल बीमायोजना के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों दूरदर्शन और एफएम चैनलों का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही, तालुका कृषि विभाग को ग्राम यात्राओं, कृषि मेलों और कृषि प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाकर फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
- २) किसानों को फसल बिमा योजना के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं।
- ३) फसल बिमा योजना से संबंधित लघु सूचनात्मक वीडियो के लिए यूट्यूब फेसबुक और ट्विटर जैसे मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए।
- ४) फसल बिमा प्रीमियम भुगतान, दावा प्रक्रिया और समय सीमा को समझाने वाले मोबाइल-अनुकूल इन्फोग्राफिक्स और लघु वीडियो विकसित किए जाने चाहिए।
- ५) लघु एवं सीमांत किसानों के लिए घसघर जाकर पंजीकरण अभियान चलाया जाना चाहिए।
- ६) फसल क्षति के सत्यापन में प्रत्यक्ष किसानों को, ग्राम पंचायतों को और स्थानीय समितियों को शामिल किया जाना चाहिए।
- ७) किसानों को बीमा में सहायता देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), नाबार्ड और सहकारी समितियों को शामिल किया जाना चाहिए।
- ८) स्थानीय जोखिमों के अनुरूप क्षेत्र-विशिष्ट फसल बीमा योजनाएं शुरू की जानी चाहिए।
- ९) किसानों की संतुष्टि और चुनौतियों का आकलन करने के लिए किसान सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए।
- १०) संशोधित राष्ट्रीय कृषि फसल बीमायोजना की प्रभावशीलता की हर साल समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची :

- 1) Datt, R., & Sundharam, K. P. M. (2000). Indian economy. New Delhi.
- 2) Government of India. (2000). Economic survey. Annual publication. New Delhi.
- 3) Kumar, B. R. (2013). Crop insurance: Tribulations and prospects of farmers with reference to Nuvid Krishna District International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, 2(9), 171-181.
- 4) Mahajan, S., & Bobade, A. (2012). Growth of NAIS: A study of crop insurance in India. *Bauddhik*, 3(1), 1-15. Retrieved December 22, 2012.
- 5) Mishra, P. K. (1996). Agricultural risk, insurance and income. Study of the impact and design of India's comprehensive crop insurance scheme. Avebury Publication
- 6) Walker, T. S., & Jodha, N. S. (1986). *Risk and Risk-Adjusting Strategies in the Semi-Arid Tropics of India: A Synthesis*. Economics Group Progress Report - ICRISAT, No. 71.
- 7) Ahsan, S. M., Ali, A. A. G., & Kurian, N. J. (1982). Toward a Theory of Agricultural Insurance. *American Journal of Agricultural Economics*, 64(3), 510-529.
- 8) Bhende, M. J. (2002). *Analysis of Crop Insurance Scheme in Karnataka*. Institute for Social and Economic Change.